

अनुमण्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष- सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.- 43 / 22 सी.आई.एस.क्र.- 43 / 22

नन्दन शर्मा एवं अन्य बनाम अरुण शर्मा एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
06/05/25	वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। प्रतिवादी की कोई पैरवी नहीं है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 28.01.25 पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि वादी की ओर से दानपत्र संख्या 22390 दिनांक 27.12.68 की प्रमाणित प्रति, खाता 28, 543 की खतियान की प्रमाणित प्रति केवाला संख्या 8622 दिनांक 05.12.1917 की मूल प्रति एवं विक्रय पत्र दिनांक 16.03.2007 की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है। अतः निवेदन है कि उक्त दस्तावेज को प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाए। प्रतिवादी के द्वारा न तो प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है न ही प्रतिवादी सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। वादी को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज की सूची के साथ 29.08.22 एवं 28.01.25 को प्रस्तुत किया गया है जो लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति एवं मूल प्रति है। अतः वादी के उक्त आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकृत कर दानपत्र एवं खतियान की प्रमाणित प्रति को क्रमशः प्रदर्श 1, 2, 2/ए एवं केवाला संख्या 8622 की मूल प्रति को प्रदर्श 3 अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा वादी का निर्देश दिया जाता है कि वह दिनांक 16.03.2007 के विक्रय पत्र को विधि अनुसार साबित करें। वाद आगामी दिनांक 11.06.25 साक्ष्य हेतु नियत। हस्ताक्षर अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	